# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

प्रेषक,
कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि. / सम्बद्धता(NOC) / 2014 6609
दिनांक : 15-04-2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
लोदी किसान महावि0 महादेवपुर सेनपुर,
आजमगढ़

विषय :–उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन महाविद्यालयों / संस्थाओं / संकायों की स्थापना हेतु प्रस्तावित लोदी किसान महाविद्यालय, महादेवपुर सेनपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला वर्ग में हिन्दी संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र संगीत एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान एवं गणित पाठ्यक्रम / विषयों में अनापत्ति / निर्बाधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक–24.12.2013 के सन्दर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2103 / सत्तर–2– 2012–2(166) / 2002, दिनांक–09 अगस्त 2012 एवं शासनादेश 1963 / सत्तर–2– 2013–16(165) / 2012 टीसी दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 एवं शासनादेश संख्या– 184 / सत्तर–2– 2014–16(165) / 2012 टीसी दिनांक 20 मार्च 2014 के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त लोदी किसान महाविद्यालय, महादेवपुर सेनपुर आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला वर्ग मे हिन्दी संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र संगीत एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान एवं गणित के पाठ्यक्रम / विषयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:–

1. लोदी किसान महावि0 महादेवपुर सेनपुर, आजमगढ़ सोसायटी लोदी किसान शिक्षा समिति ग्राम व पो0 महादेवपुर पो0 बढ़या त0 बुढ़नपुर जनपद– आजमगढ़ द्वारा संचालित किया जायेगा।
2. उक्त पाठ्यक्रम / विषय में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग संस्था के प्रबन्ध तन्त्र को प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम / विषय में प्रवेश राज्य सरकार की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम / विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2– 2000–2 (166 ) 2002, दिनांक–27 सितम्बर 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
5. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन / संचालित विश्वविद्यालय से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार / सम्बन्धित विश्वविद्यालय की होगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम / विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार / सम्बन्धित विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।

7. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. उप जिलाधिकारी, लालगंज, आजमगढ़ के द्वारा जारी उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र– ग्राम महादेवपुर त० बूढनपुर जिला आजमगढ़ में गाटा संख्या 5 कुल रकबा 1.020 हे० वर्गमीटर 10206 है जिसके सभी गाटे आपस में सटे हैं। यह भूमि अकृषित एवं महाविद्यालय के नाम विधितः अंतरित है। भूमि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा अन्यथा की स्थिति में अनापित्त/निर्वाधन (क्लीयरेंस) स्वतः निरस्त हो जायेगी।
9. यह अनापत्ति/निर्बाधन(क्लीयरेंस) प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र 2014–15 से देय होगी।

(II) अतः उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
15/5

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. उपजिलाधिकारी लालगंज आजमगढ़ ।
6. प्रो० अनिल प्रताप सिंह, प्राचार्य, बयालसी महावि० जलालपुर जौनपुर ।

कुलसचिव

(05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:
कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

पत्रांक:पू.विवि./सम्ब./01– (दो)/2013/7309
दिनांक: 27-5-2014

सेवा में, प्रबन्धक
लोदी किसान शिक्षा समिति महादेवपुर,
सेनपुर, बूढ़नपुर, आजमगढ़।

**विषय:–नवनिर्वाचित प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–26.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि **प्रस्तावित–लोदी किसान महाविद्यालय, महादेवपुर सेनपुर, आजमगढ़** की नवगठित प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव में प्राप्त अभिलेखों पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2 (13) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रबन्ध समिति को चुनाव तिथि (दिनांक–20.04.2014) से पाँच वर्ष के लिए मान्यता प्रदान करने की कृपा की है।

| क्र. सं. | नाम | पिता/पति का नाम | पता | पद नाम | मो0नं0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री श्रीराम मौर्य | स्व0 नायक मौर्य | ग्रा. शेखौना, पो.–सेनपुर तहसील–बूढ़नपुर, जिला–आजमगढ़ | अध्यक्ष | 9453500939 |
| 2 | श्री रामसागर यादव | श्री बलराम यादव | ग्राम व पोस्ट–सेनपुर, तहसील–बूढ़नपुर, जिला–आजमगढ़ | प्रबन्धक | 9415240952 |
| 3 | श्री केदार नाथ यादव | स्व0 मुनेश्वर यादव | ग्रा. गंगापुर, पो.– बढ़या, तहसील–बूढ़नपुर, जिला–आजमगढ़ | कोषाध्यक्ष | 9415978254 |
| 4 | श्री पतिराम | स्व0 रामलाल | ग्रा. महादेवपुर, पो.– सेनपुर, तहसील–बूढ़नपुर, जिला–आजमगढ़ | सदस्य | 9616797139 |
| 5 | श्री ज्ञानचन्द | स्व0 झूरी | ग्रा. महादेवपुर, पो.– सेनपुर, तहसील–बूढ़नपुर, जिला–आजमगढ़ | सदस्य | 8765369154 |
| 6 | श्री देवेन्द्र | स्व0 केदार नाथ | ग्राम–परानपुर, पोस्ट–बढ़या, तहसील–बूढ़नपुर, जिला–आजमगढ़ | सदस्य | 9451300708 |
| 7 | श्री राधेश्याम यादव | श्री लालचन्द यादव | ग्रा.व पो.– सेनपुर, तहसील–बूढ़नपुर, जिला–आजमगढ़ | सदस्य | 9984857727 |

उपरोक्त प्रबन्ध समिति में प्राचार्य पदेन सदस्य होंगे तथा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम में ज्येष्ठता क्रम में सम्बद्ध परिनियमों में अधिकथित प्राविधानों के अनुसार होगा।

भवदीय
27/5

कुलसचिव

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर

पत्रांक: पू.विवि. / सम्ब / 01–(तीन) / 2015 / 10761
दिनांक: 03.03.2015

सेवा में,

**प्रबन्धक,**
लोदी किसान महाविद्यालय,
महादेवपुर, सेनपुर, आजमगढ़।

**विषय:**— स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक—10.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ मे सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश दिनांक—09 मई 2000, 31 दिसम्बर, 2010 व 25 नवम्बर, 2013** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **05 वर्ष की संविदा** के आधार पर **प्राचार्य** पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि **नेट अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा** तथा **इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत् / अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

| नाम | पिता / पति का नाम | जन्मतिथि | शैक्षिक अर्हता | पद |
|---|---|---|---|---|
| डॉ0 हरिश्चन्द्र | श्री छबिराज | 01.09.1958 | पी.एच—डी.—1992 | प्राचार्य |

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा **प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड)** अनिवार्य रुप से लागू किया जाय साथ **ही AISHE Survey के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें।**

नोट— यदि भौतिक सत्यापन नही हुआ है,तो तीन माह में करा लें।

भवदीय

कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/01–(तीन)/2015/9636
दिनांक : 09-01-15

सेवा में,

प्रबन्धक,
लोदी किसान महाविद्यालय,
महादेवपुर, सेनपुर, आजमगढ़।

विषयः– लोदी किसान महाविद्यालय,महादेवपुर, सेनपुर, आजमगढ़ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–10.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश शासनादेश दिनांक–09 मई 2000, 31 दिसम्बर, 2010 व 25 नवम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **पाँच वर्ष की संविदा** के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि **अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

| क्र.सं. | नाम | पिता/पति का नाम | जन्मतिथि | शैक्षिक योग्यता | प्रवक्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री तेज बहादुर यादव | श्री श्री शंकर यादव | 15.03.1984 | एम0ए0, नेट जून–2012 | हिन्दी |
| 2 | श्री भुपेन्द्र | श्री तिलकधारी केवट | 04.01.1988 | एम0ए0, नेट जून–2013 | संस्कृत |
| 3 | डॉ0 कलावती देवी | श्री मन्नू राम यादव | 06.11.1974 | एम0ए0, पी0एच–डी0–2011 | समाजशास्त्र |
| 4 | श्री देवनरायण भारती | श्री राम मिलन राम | 20.08.1989 | एम0ए0, नेट दिसम्बर–2012 | भूगोल |
| 5 | डॉ0 सुषमा श्रीवास्तव | श्री जगदम्बा सहाय श्रीवास्तव | 20.11.1982 | एम0ए0, पी0एच–डी0–2012 | गृहविज्ञान |
| 6 | श्री अखिलेश कुमार | श्री राम जियावन | 15.09.1983 | एम0ए0, नेट दिसम्बर–2013 | शिक्षाशास्त्र |
| 7 | डॉ0 मनोज पन्त | श्री हरिश्चन्द्र पन्त | 04.10.1982 | एम0ए0, नेट जून–2007 | संगीत |
| विज्ञान संकाय | | | | | |
| 1 | उपमा यादव | श्री रामअवतार सिंह यादव | 31.03.1983 | एम0एस0सी0 जेआरएफ नेट दिसम्बर–2009 | रसायन विज्ञान |
| 2 | श्री सुबाष चन्द्र | श्री जगरुराम | 26.08.1986 | एम0एस0सी0 जेआरएफ नेट जून–2013 | भौतिक विज्ञान |
| 3 | डॉ0 निशा मौर्या | श्री रविन्द्रनाथ मौर्या | 01.09.1974 | एम0एस0सी0 पी0एच–डी0–2003 | जन्तु विज्ञान |
| 4 | डॉ0 रजना सिंह | श्री राममूर्ति सिंह | 01.07.1974 | एम0एस0सी0 पी0एच–डी0–2006 | वनस्पति विज्ञान |
| 5 | डॉ0 नरेन्द्र बहादुर सिंह | श्री शेर बहादुर सिंह | 10.10.1975 | एम0एस0सी0 पी0एच–डी0–2006 | गणित |

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय साथ ही **AISHE Survey** के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें।
नोट– यदि भौतिक सत्यापन पूर्ण नही तो तीन माह में पूर्ण करा लें।

भवदीय,

कुलसचिव

संख्या–सम्ब. 1066/सत्तर–6–2014–2(991)/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2014

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू.वि.वि./सम्बद्धता/02(दो)/2014/7478 दिनांक 01–06–2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन लोदी किसान महाविद्यालय, महादेवपुर, सेनपुर, आज़मगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम के हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र संगीत तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एससी0 पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों यथा प्राचार्य/अध्यापकों की नियुक्ति का प्रमाण संलग्न नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20–12–2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब. 1066(1)/सत्तर–6–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3 अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4 प्रबन्धक, लोदी किसान महाविद्यालय, महादेवपुर, सेनपुर, आज़मगढ़।
5 विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।